FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

1 copie Act, 1951.
*Election to the House of the People from the
*Election to the Legislative Assembly of HINDOLI(184) (State/Unionterritory) from RAJASTHAN Assembly constituency.
Election to the Metropolitan Council of Delhi fromMetropolitan Council Constituency.
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—
HRI ASHOK (Name) GUJARON KA MOHALLA, GRAM BUNDI TH. AND DIST. BUND RAJ.) (Address) sponsored by INC (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
lace: BUNDI
ate: 11.12.2018
Signature4
Returning Officer

^{*}Score out, if inappropriate.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा	ा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
(राज्य / संघ र	대통령 경기 가게 되는 그리다면서 가게 되는 그리고 있는데 그리고 하는 그리고 하는데 하는데 그리고 하는데 되었다.
संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन	T
*हिण्डोली (184)	विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र सेराजस्थान
(राज्य / संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।	
*महानगर परिषद् निर्वाचन-	क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नि	यम ६४ के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा ६६
में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता	
श्री अशोक(नाम)	गुर्जरो का मोहल्ला, ग्राम बून्दी तह. व जिला बून्दी (राज.).
(पता) 1[जो इंडियन नेशनल कॉग्रेर	
(मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)) द्वारा खड़े किए गए/की गई।]
उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने	के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई है।
स्थानबून्दी	
तारीख11—12—2018	
	हस्ताक्षर
	रिटर्निंग आफिसर
	A COLOR
*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।	

¹ अधिसूचना सं० का० आ० ५६५(अ), तारीख ४ अगस्त, १९८४ द्वारा अंतःस्थापित।